CENTRAL GOVERNMENT
RAILWAY PROTECTION FORCE
CENTRAL RAILWAY, MUMBAI CST- 400 001

NOTIFICATION FOR
RECRUITMENT OF CONSTABLE (BAND) IN RPF
EMPLOYMENT NOTICE NO.01/2013

Date: 27/05/2013

1. **Applications** are invited from eligible **male candidates** for direct recruitment of Constable (Band) in Railway Protection Force (RPF).
2. **Vacancies**: Total number of assessed vacancies is 07. The category-wise break-up is SC-1, OBC-2, and UR-4.

   NOTE: 1) The above mentioned vacancies are provisional and may increase or decrease or even become nil depending upon the requirement of the Railway Administration. The Administration also reserves the right to cancel the notified vacancies at its discretion and such decision will be binding on all concerned. In the event of cancellation of notified vacancies, the examination fee will not be refunded.

   2) The selected candidates are liable to serve anywhere in India and may be allotted any Zonal Railways/Railway Protection Special Force (RPSF) after selection.

   3) 10% vacancies are reserved for eligible ex-servicemen.
3. **Band equipment –wise vacancies are as under:**

Sr. No.	Name of Band Equipment	No. of vacancy
1	Clarinet	03
2	Trombone	01
3	Tenor Saxophone	01
4	Euphonium	01
5	Bass	01

4. **Pay Scale**: Pay Band PB-1 Rs.5200-20200 Grade Pay Rs.2000/- with various allowances as applicable from time to time.
5. **INELIGIBILTY**: No person who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment in RPF(Band).
6. **Eligibility**:
   a) Must be a citizen of India (Only **male** citizens are eligible)
   b) Educational/Technical qualifications:
      (i) Candidates should be Matriculation pass or equivalent examination conducted by a recognised Board; and (ii) 2 years experience in operational use of specified musical instrument. Ex-servicemen holding certificate in military music shall be permitted.
   c) Age: Between 18 and 27 years (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in case of General candidates, upto 43 in case of OBC candidates and

upto 45 years in case of candidates belonging to SC/ST in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.

Note: The crucial or cut off date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir state, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

d) Post of Constable (Band) has not been identified as suitable for persons with disabilities and hence these posts have been exempted from the purview of Section 33 and 47 of the Persons with Disabilities (Equal opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995**.**

7. **Physical Measurements**:

Category	Height (cms)	Chest unexpanded (cms)	Chest expanded (cms)
UR/OBC	165	80	85
SC/ST	160	76.2	81.2

Note: A minimum expansion of 5 cms in chest is essential.

8. **Application fee:** All candidates are required to send application fee of **Rs.50/- (Rupees fifty only)** in the form of crossed **Indian Postal Order (IPO) or Bank Draft** in favour of **Financial Advisor & Chief Accounts Officer (FA&CAO), Central Railway, Mumbai CST**. However, candidates belonging to SC/ST category and Ex-servicemen are exempted from payment of application fee.

   Note: (i) Cash, money order, cheque, central recruitment fee stamps etc will not be accepted. (ii) Fee once paid will not be refunded or adjusted. (ii) Date of issue of Postal order or Bank draft should not be before the date of notification.

9. **How to apply**: (a) Application forms can be downloaded from Indian Railways official website www.cr.indianrailways.gov.in, taken from the Employment News or other relevant newspapers. The application forms may be submitted on A 4 size bond paper using one side only and sent to **Chief Security Commissioner/RPF, Post Box No. 12 GPO, Mumbai CST-400 001**. (b) The applications should be filled in by the candidates only in Hindi or English in their own handwriting with signature in normal handwriting and left hand thump impression of candidates. Applications signed in capital letters/spaced out letters will be treated as invalid. (c) Coloured photograph (3.5 cms x 4.5 cms) should be pasted at the appropriate place with clear front view of the face without cap and sun glasses.

10. **(a) Documents to be sent along with the application**:

   i) Crossed Indian Postal Order/Bank Draft for Rs.50/- as application fee (non-refundable)

   ii) Self attested copy of SC/ST/OBC certificate on the format prescribed for Central Government employment as per annexure.

   iii) Self-attested copy of matriculation certificate as proof of educational qualification and age

   iv) Self-attested copy of experience certificate of working in the Band and having played one of the instruments listed in the advertisement

   v) Self-attested copy of discharge certificate for Ex-servicemen

vi) One extra coloured photograph (3.5 cms x 4.5 cms) with clear front view of the face without cap and sun glasses, mentioning the name of the candidate on the reverse side

vii) Two self addressed envelopes of 27.5 cms x 12.5 cms with five rupees postal stamps affixed on each of them.

10.(b) Application can be rejected on the following grounds:-

i) Bank draft /IPO not enclosed wherever applicable.

ii) Coloured photograph as prescribed not pasted and attached with Application.

iii) Incomplete or illegible application

iv) Improper format of application.

v) Under aged/over aged candidates as per declaration in the form.

vi) Not having requisite educational qualification as on the closing date of submission of the application

vii) Application in language other than English or Hindi.

viii) SC/ST/OBC certificate, where required, not enclosed or not in prescribed format.

ix) Application received after last date.

Note: 01. Candidates found to be having adverse report on their antecedent and character shall not be appointed. Production of false certificate is an offence and will lead to disqualification/dismissal from service, if appointed and prosecution.

02. If a candidate has any grievance regarding physical measurement and the Chairman of the Recruitment Committee does not redress the same, he may, within three days, approach the Grievance Redress Cell in the office of the Chief Security Commissioner/RPF/Central Railway, Mumbai

03. The candidates must have knowledge and capacity to play at least one of the instruments given in this Notification. ***The candidates should bring their own instrument when appearing for the test.***

11. **Last date of receipt of applications: 30** days (37 days for candidates living in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir state, Lahaul & Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep) from the date this Employment Notice is published in the Employment News.

12. **Recruitment Process**:

A) Physical Efficiency Test (PET): The candidates will be subjected to Physical Efficiency Test consisting of the following events and will require clearing all these events. It will be qualifying in nature. There will be no PET for Ex-servicemen.

Sr. No.	**Name of event**	**Minimum qualifying standard**
1	400 meters race	1 minute 20 seconds
2	Shot Put (16 lbs)	20 feet
3	Long Jump	12 feet

B) Written Test: Candidates qualifying in **Physical Efficiency Test** and eligible with respect to height and chest (both unexpanded and expanded) measurements, will be required to appear for a written test for 25 marks consisting of 50 objective type questions of ½ mark each for a duration of 35 minutes on the following subjects:- There will be no minus marks for incorrect answers.

(i) Questions relating to Music	- 15
(ii) Questions relating to General Awareness	- 15
(iii) Questions relating to General Intelligence	- 10
(iv) Questions relating to Language (English/Hindi)	- 10

Candidates will be required to answer all the questions. The test may be conducted using Optical Magnetic Reader (OMR) sheets and evaluations will be done electronically.

C) Trade Test: The candidates will be subjected to Trade test for 70 marks.
The candidates should bring their-own instrument when appearing for the test.

D) Document verification: In addition to marks in Written test and Trade test, maximum 5 marks are granted to candidates on production of original certificates in the following:

Candidates with NCC certificate (B)	- 1 mark
Candidates with NCC certificate (C)	- 2 marks
Government recognised certificate/diploma/degree in music	- 3 marks

Ex-servicemen are not eligible for this benefit.
The candidates called for Trade test and documents verification must produce all original documents in support of their education, age, SC/ST/OBC status where applicable on the prescribed format, NCC. Failure to produce the documents will lead to disqualification of the candidate.

13. **Medical examination**: The empanelled persons shall have to pass B-I medical category in the nominated Railway Hospital
14. The candidates have to attend the recruitment at their-own cost and risk. However, candidates belonging to SC/ST categories will be issued with free travel authority for to-and free travel from the nearest Railway station to the place of recruitment as per extant Railway Rules..
15. The decision of the Selection Board on all matters relating to eligibility, place, date, mode of selection, acceptance or rejection will be final and binding on the candidates.
16. Canvassing and bringing pressure in any form on the Committee will lead to disqualification of the candidate.

(Anil Sharma)
IG-cum-CSC/RPF

NOTIFICATION NO. 01/2013 DATED 27/05/2013

APPLICATION FOR THE POST OF CONSTABLE (BAND) IN RPF/RPSF

Recent coloured photograph (3 cms x 4.5 cms) be pasted here

1.

IPO/BANK DEMAND DRAFTS DETAILS			
NO.	DATE	BANK/POST OFFICE	AMOUNT

2. NAME (BLOCK LETTERS) AS IN MATRICULATION CERTIFICATE

____

3. FATHER'S NAME (AS IN MATRICULATION CERTIFICATE)

____

4. DATE OF BIRTH: (DAY/MONTH/YEAR) AS IN MATRICULATION CERTIFICATE

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

5. CATEGORY:
(Tick the appropriate box)

UR	OBC	SC	ST	EX-MAN

6. PERMANENT ADDRESS (INCLUDING PIN CODE, DISTRICT &STATE)

7. PRESENT POSTAL ADDRESS (INCLUDING PIN CODE, DISTRICT, STATE AS WELL AS NEAREST RAILWAY STATION)

8. ENCLOSURES:

(i) Crossed Indian Postal Order for Rs.50/- as application fee (non-refundable) (ii) Self attested copy of SC/ST/OBC certificate on the format prescribed for Central Government employment (iii) Self-attested copy of matriculation certificate as proof of educational qualification and age (iv) Self-attested copy of experience certificate of working in the Band and having played one of the instruments listed in the advertisement (v) Self-attested copy of discharge certificate for Ex-servicemen (vi) One extra coloured photograph (3.5 cms x 4.5 cms) with clear front view of the face without cap and sun glasses, mentioning the name of the candidate on the reverse side (vii) Two self addressed envelopes of 27.5 cms x 12.5 cms with five rupees postal stamps affixed on each of them.

9. The following declaration to be copied by the candidate in his own handwriting:

(I hereby declare that all the information above have been filled by me in my own handwriting and are true and correct to the best of my knowledge and belief. If they are found incorrect, my candidature may be cancelled"

____

____

____

____

Signature ....
Name:..

Left thump impression
of the candidate

Annexure -A

THE FORM OF THE CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY SCHEDULED CASTE AND SCHEDULED TRIBES CANDIDATES APPLIYING FOR APPOINTMENT TO POST UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari * ___________son/daughter* of ____________. Of_____________village /town*_______________in District/Division * ___________ of the State /Union Territory *______________belongs to the_____________ Caste/ Tribe* which is recognized as Scheduled Caste/ Scheduled Tribe* under :-
The Constitution (Scheduled Caste) Order 1950*
The Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950*
The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territory) Order, 1951*
The Constitution (Scheduled Tribes)* (Union Territory) Order, 1951*
As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order ,1956 , the Bombay Reorganization Act, 1960, the Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Caste, Scheduled Tribes Orders (Amendment)Act, 1976.
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Caste Order, 1956*
The Constitution (Andaman & Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959* as Amended by the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Orders (Amendment Act, 1976*)
The Constitution (Dadar And Nagar Haveli) Scheduled Caste Order, 1962*
The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964*
The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967*
The Constitution (Goa Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968*
The Constitution (Goa Daman & Diu) Scheduled Tribes Order, 1968
The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970*
The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978*
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978*

ii) Shri / Shrimati/ Kumari *____________ and/or his /her* family ordinarily reside(s) in village/town* _________________of_____________ District/Division*______________of the State / Union Territory of _____________

Signature______________
Designation__________________.
(With seal of office)
State /Union Territory*

Place_________________.
Date__________________
Pease strike off whichever is not applicable.
Note:- the term* "ordinarily reside (s)" used herewith have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950.
**Officers competent to issue Caste/Tribe Certificates :

i) District Magistrate/ Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector/ 1st Class Stipendiary Magistrate / City Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate/ Executive Magistrate / Extra Magistrate Commissioner not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate
ii) Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
iv) Sub- Divisional Officers of the area where the candidate and/ or his/her/ family normally resides.
v) Administrator /Secretary to Administrator /Development Officer (Lakshadweep) 18

Annexure -B

FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWORD CLASSES (OBC) APPLIYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA

This is to certify that Shri / Smt/ Ku ……………………………son/daughter of Shri ………………… of ……………………………… village/town………………………………………………… District/Division ………………………………… of the State………………………belongs to the …………………………… Community which is recognized as a Backward Class under:-

1. Government of India Ministry of Welfare Resolution No.12011/68/93-BCC(C) dtd. 10th September 1993 published in the Gazette of India Extraordinary Part-I Section-I dtd. the 13th September 1993.
2. Government of India, Ministry of Welfare, Resolution No.12011/9/94-BCC, dtd. 19.10.1994 published the Gazette of India Extraordinary Part-I Section-I No.163 dtd. 20.10.1994.
3. Resolution No.12011/7/95-BCC, dtd. 24.05.1995 published in Gazettee of India Extraordinary – Pt. I Section-I No.88, dtd. 25.05.1995.
4. Resolution No.12011/44/96-BCC, dtd. 06.12.1996 published in Gazettee of India Extraordinary - Pt. I, Section-I, No.210, dated 11.12.1996.
5. Resolution No. 12011 / 68/93-BCC, published in Gazettee of India Extraordinary –No.129, dated 08.07.1997.
6. Resolution No. 12011 /12/96-BCC, published in Gazettee of India Extraordinary –No.164, dated 01.09.1997.
7. Resolution No. 12011 / 99/94-BCC, published in Gazettee of India Extraordinary –No.236, dated 11.12.1997.
8. Resolution No. 12011 / 13/97-BCC, published in Gazettee of India Extraordinary –No.239, dated 03.12.1997.
9. Resolution No. 12011 / 12/96-BCC, published in Gazettee of India Extraordinary –No.166, dated 03.08.1998.
10. Resolution No. 12011 / 68/93-BCC, published in Gazettee of India Extraordinary –No.171, dated 06.08.1998.
11. Resolution No. 12011 / 68/98-BCC, published in Gazettee of India Extraordinary –No.241, dated 27.10.1999.
12. Resolution No. 12011 / 88/98-BCC, published in Gazettee of India Extraordinary –No.270, dated 06.12.1999.
13. Resolution No. 12011 / 36/99-BCC, published in Gazettee of India Extraordinary –No.71, dated 04.04.2000.

Shri/ Smt/ Ku……………………………………………….. and/or his /her family ordinarily reside(s) in- the ………………………….. Districts/Division of the ……………… State. This is also to certify that he/she does not belong to the person /section (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Scheduled to the Government of India Department of Personnel and Training O.M. No. 36012/22/93-Estt.(SCT) dated 08.09.1993.

District Magistrate,
Deputy Commissioner etc.

Dated ………………..
Seal

…………………………………………………………………………………………………

NB:

a) The term ordinary used here will have the same meaning as in Section 20 of the representation of the People's Act. 1950
b) The authorities competent to issue Caste certificates are indicated below:
    a. District Magistrate/ Additional Magistrate/Collector/Deputy Commissioner / Additional Deputy Commissioner / Deputy Collector/ 1st Class Stipendiary Magistrate / Sub-Divisional Magistrate / Taluka Magistrate/ Executive Magistrate / Extra Assistant Commissioner (not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate) .
    b. Chief Presidency Magistrate / Additional Chief Presidency Magistrate/ Presidency Magistrate.
    c. Revenue Officers not below the rank of Tehsildar and .
    d. Sub- Divisional Officers of the area where the candidate and/ or his/her/family resides.

    ** Strike out whichever is not applicable. 19

Annexure –C

DECLARATION BY APPLICANTS BELONGING TO OBC

"I ……………………………………………. Son/ Daughter of Shri ………………………………………………….. Resident of ………………………………. of …………………. village/Town …………………………..City ………………………………………….. District …………………………………… State …………………….. Hereby declare that I belong to the ……………………………….. Community which is recognized as Backward Class by the Government of India for the purpose reservation in services as per orders contained in Deptt of personnel and Training Office. Memorandum No. 36012/22/93- Estt (SCT) dated 08.09.1993. It is also declared that I do not belong to persons/section (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 08.09.1993".

Signature ______________________________
Name of the Candidate_____________________
Date __________________________________Father's Name_________________________
Place _________________________ Address ______________________

केंद्र सरकार

रेल सुरक्षा बल

मध्य रेल, मुंबई छशिट - 400 001

रेल सुरक्षा बल में आरक्षक (बैंड) के चयन के लिए अधिसूचना

रोजगार सूचना संख्या 01/2013

दिनांक 27.05.2013

1. रेल सुरक्षा बल (आरपीएफ) में आरक्षक बैंड की सीधी भर्ती के लिए पात्र पुरूष उम्मीदवार से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं ।

2. **रिक्तियां :-** कुल आकलित रिक्तियों की संख्या 07 हैं । श्रेणीवार ब्रेक अप के अनुसार अनुसूचित जाति-1, अन्य पिछड़ा वर्ग -2 अनारक्षित -4

   टिप्पणी :

   1. उपर्युक्त रिक्तियां अनंतिम हैं और रेल प्रशासन की आवश्यता के आधार पर इन्हें कम किया जा सकता है/बढ़ाया जा सकता है या बिल्कुल समाप्त भी किया जा सकता है । प्रशासन को यह भी अधिकार है कि वह अपने विवेक पर अधिसूचित रिक्तियों को रद्द कर सकता है और यह निर्णय सर्वसंबंधितों पर बंधनकारी होगा । अधिसूचित रिक्तियों को रद्द करने की स्थिति में परीक्षा शुल्क की धनवापसी नहीं होगी ।
   2. चयनित उम्मीदवारों को भारत के किसी भी भाग में कार्य करना होगा और चयन के पश्चात किसी भी क्षेत्रीय रेल/रेल सुरक्षा विशेष बल (आरपीएसएफ) में कहीं भी ड्यूटी पर तैनात किया जा सकता है ।
   3. पात्र भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित हैं ।

3. **बैड वाद्य यंत्रवार रिक्तियां निम्नानुसार है :-**

अनुक्रमांक	वाद्ययंत्र का नाम	रिक्तियों की संख्या
1	क्लेरीनेट	03
2	ट्रामबोन	01
3	टेनर सैक्सोफोन	01
4	यूफोनियम	01
5	बास	01

4. **वेतनमान :-** पे बैंड पीबी-1 Rs 5200-20200 ग्रेड पे Rs 2000/- समय-समय पर लागू विभिन्न भत्तों सहित ।

5. **अपात्रता :-** कोई भी व्यक्ति जिसने उस व्यक्ति से जिसके जीवित पति/पत्नी हो उसके साथ विवाह करने/विवाह का करार किया हो या जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी के साथ हुए विवाह या विवाह का करार किया हो वह रेल सुरक्षा बल (बैंड) में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

6. **पात्रता :-**

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए (केवल पुरूष नागरिक पात्र है)

(ख) शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं

i. उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

ii. विशिष्ट वाद्ययंत्र को बजाने का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए । भूतपूर्व सैनिकों के लिए मिलिटरी म्युजिक का प्रमाण पत्र अनुमेय होगा।

(ग) आयु: 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए । केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सामान्य उम्मीदवारों के मामले में सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 43 वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के उम्मीदवारों के मामले में 45 वर्ष तक की छूट ।

टिप्पणी :- भारत में उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख आयु सीमा निर्धारित करने के लिए कट ऑफ तारीख होगी (आसाम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख मंडल,लाहौल तथा स्पिती जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले तथा पांगी सब डिविजन, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्ष्यद्वीप के उम्मीदवारों के लिए यह तारीख अंतिम नहीं होगी) ।

(घ) कांस्टेबल (बैंड) के पद शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं माना गया है । अत: इन पदों को डिसेविलिटी एक्ट (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा तथा पूर्ण सहभाग) 1995 की धारा 33 एवं 47 के क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

7. **शारीरिक माप**

श्रेणी	**ऊंचाई (से.मी.)**	**सीना बिना फुलाएं (से.मी.)**	**सीना फुलाकर(से.मी.)**
सामान्य तथा अन्य पिछड़ा वर्ग	165	80	85
अ.जा./अ.ज.जा.	160	76.2	81.2

टिप्पणी :- सीने को न्यूनतम 5 से.मी .फुलाना जरूरी है ।

8. **आवेदन शुल्क :** सभी उम्मीदवारों को Rs 50/- का रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर (आईपीओ) या बैंक ड्राफ्ट जो वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी (एफएंडसीएओ) मध्य रेल, मुंबई छशिट के पक्ष में जारी हो आवेदन शुल्क के रूप में भेजना होगा । तथापि अ.जा/अ.ज.जा. श्रेणी तथा भूतपूर्व सैनिकों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है ।

टिप्पणी :

I नकद, मनी ऑर्डर, धनादेश, केंद्रीय भर्ती शुल्क मुद्रांक इत्यादि स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एक बार भुगतान किया गया शुल्क न तो वापस होगा और न ही समायोजित किया जाएगा।

II पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट जारी करने की तारीख अधिसूचना की तारीख से पहले की नहीं होनी चाहिए ।

9. **आवेदन कैसे करें** :-

(क) आवेदन फार्मों को भारतीय रेल की अधिकृत वेबसाइट www.cr.indianrailwys.gov.in से डाऊन लोड किया जा सकता है या रोजगार समाचार या अन्य संबंधित अखबारों से लिया जा सकता है । आवेदन पत्रों को ए -4 आकार के पेपर में केवल एक ओर भरकर मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेल सुरक्षा बल पोस्ट बॉक्स नंबर 12 जीपीओ मुंबई छशिट 400 001 को भेजा जाए ।

(ख) आवेदन पत्र उम्मीदवार द्वारा अपनी हेंड राइटिंग में केवल हिंदी या अंग्रेजी में भरा जाए तथा सामान्य अक्षरों में हस्ताक्षर किए जाए तथा उस पर उम्मीदवार के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान लगाया जाए । बड़े अक्षरों में या अलग-अलग लिखे गए अक्षरो मे हस्ताक्षर किए हुए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(ग) उम्मीदवार का बिना टोपी और सनग्लास पहने हुए सपष्ट चेहरे वाले कलर फोटोग्राफ (3.5 से.मी.X 4.5 से.मी.) को उचित स्थान पर लगाया जाए ।

10. **(क) आवेदन पत्र के साथ भेजे जाने वाले दस्तावेज:**

I. आवेदन शुल्क के रूप में Rs 50/- रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर/बैंक ड्राफ्ट

II. अनुलग्नक के अनुसार केंद्र सरकार के रोजगार के लिए निर्धारित प्रारूप में अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र की स्वसाक्ष्यांकित प्रति

III. शैक्षणिक योग्यता तथा आयु के प्रमाण के रूप में मैट्रिक प्रमाण पत्र की स्वसाक्ष्यांकित प्रति

IV. विज्ञापन में दर्शाए गए किसी एक वाद्ययंत्र को बजाने तथा बैंड में कार्य करने के अनुभव प्रमाण पत्र की स्वसांक्ष्याकित प्रति ।

V. भूतपूर्व सैनिकों द्वारा सेवा समापन (Discharged Certificate) के प्रमाणपत्र की स्वसाक्ष्यांकित प्रति

vi. उम्मीदवार का बिना टोपी और सनग्लास पहने हुए सपष्ट चेहरे वाला एक अतिरिक्त कलर फोटोग्राफ (3.5 से.मी.X 4.5 से.मी.) तथा फोटो के पीछे उम्मीदवार का नाम लिखा हुआ हो ।

vii. स्वयं का पता लिखे हुए 27.5 से.मी X 12.5 से.मी. आकार वाले दो लिफाफे जिन पर पांच रूपए के डाक टिकट लगे हुए हों ।

(ख) आवेदन निम्नलिखित आधार पर निरस्त किए जा सकते हैं :-

i. बैंक ड्राफ्ट/आईपीओ जहां कहीं लागू हो, न जोडा गया हो ।

ii. निर्धारित कलर फोटोग्राफ पेस्ट न किया गया हो और आवेदन के साथ न लगाया गया हो ।

iii. अपूर्ण या अपठनीय आवेदन

iv. गलत फार्मेट में प्रस्तुत आवेदन

v. फार्म में भरे गए घोषणा पत्र के अनुसार कम आयु/अधिक आयु वाले उम्मीदवारों के आवेदन ।

vi. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता न रखने वाले उम्मीदवारों के आवेदन

vii. अंग्रेजी अथवा हिंदी के अलावा अन्य भाषा में भरे गए आवेदन

viii. एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाण पत्र, जहां अपेक्षित हो, न जोड़े गए या निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत न किए गए हो ।

ix. अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदन

नोट : 01. उम्मीदवारों के पूर्ववृत्त तथा आचरण के बारे में प्रतिकूल रिपोर्ट पाए जाने पर उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा । गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपराध है तथा ऐसा करने पर उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जाएगा/यदि नियुक्त किया गया हो तो सेवा से बर्खास्त किया जाएगा और उन पर मुकदमा चलाया जाएगा ।

02. यदि किसी उम्मीदवार को शारीरिक मापदंड के बारे में कोई शिकायत हो तथा भर्ती समिति के अध्यक्ष द्वारा इसका निराकरण नहीं किया जाता है तो वह मुख्य सुरक्षा आयुक्त/आरपीएफ/मध्य रेल, मुंबई के कार्यालय में बने शिकायत निवारण सेल में तीन दिन के भीतर आवेदन कर सकता है।

03. उम्मीदवारों के लिए इस नोटिफिकेशन में दिए गए वाद्य यंत्रों में से कम से कम एक वाद्य यंत्र बजाने का ज्ञान और क्षमता रखना आवश्यक है । उम्मीदवारों को परीक्षा में भाग लेते समय अपने साथ अपना स्वयं का वाद्य यंत्र लाना होगा ।

11. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :-** रोजगार समाचार में इस रोजगार सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन (आसाम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य का लद्दाख डिविजन, लाहौल और स्पीती जिला तथा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी सब डिविजन, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्षयद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों के लिए 37 दिन)

12. **भर्ती प्रक्रिया :-**

(क) **शारीरिक क्षमता परीक्षण (पीईटी) :-** उम्मीदवारों को शारीरिक क्षमता परीक्षा देनी होगी जिसमें निम्नलिखित गतिविधियां शामिल होगी तथा उन्हें इन सभी गतिविधियों में उत्तीर्ण होना होगा । यह आवश्यक अर्हता होगी । भूतपूर्व सैनिकों के लिए कोई शारीरिक क्षमता परीक्षा नहीं होगी ।

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	न्यूनतम अर्हता मानक
1	400 मीटर दौड़	01 मिनट 20 सेकंड
2	शॉट पुट (16 एलबीएस)	20 फीट
3	लॉग जंप	12 फीट

(ख) **लिखित परीक्षा :-** शारीरिक क्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण तथा कद और सीने (बिना फुलाएं और फुला कर दोनों) के निर्धारित मापों के अनुसार पात्र उम्मीदवारों को 25 अंकों की लिखित परीक्षा देनी होगी जिसमें निम्नलिखित विषयों पर 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे । परीक्षा की अवधि 35 मिनट होगी तथा प्रत्येक प्रश्न के लिए ½ अंक निर्धारित होगा । गलत उत्तरों के लिए कोई माइनस अंक नहीं होंगे ।

संगीत से संबंधित प्रश्न	-	15
सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न	-	15
सामान्य बुद्धि से संबंधित प्रश्न	-	10
भाषा (अंग्रेजी/हिंदी) से संबंधित प्रश्न	-	10

उम्मीदवारों को सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे । यह परीक्षा ऑप्टिकल मैगनेटिक रिडर (ओएमआर) शीटों का उपयोग कर आयोजित की जाएगी और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन इलेक्ट्रानिक तरीके से किया जाएगा ।

(ग) **ट्रेड टेस्ट:-** उम्मीदवारों को 70 अंकों का ट्रेड टेस्ट देना होगा । उम्मीदवारों को परीक्षा में भाग लेते समय अपने साथ अपने वाद्य यंत्र लाने होंगे ।

(घ) **दस्तावेजों का सत्यापन** :- लिखित परीक्षा तथा ट्रेड टेस्ट में प्राप्त अंकों के अतिरिक्त उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अधिकतम 05 अंक दिए जाएंगे:-

एनसीसी प्रमाण पत्र (बी)	-	01 अंक
एनसीसी प्रमाण पत्र (सी)	-	02 अंक
सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रमाण पत्र/डिप्लोमा /संगीत में डिग्री	-	03 अंक

भूतपूर्व सैनिक इसका लाभ पाने के पात्र नहीं है । ट्रेड टेस्ट तथा दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को अपनी शैक्षणिक योग्यता, आयु, एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो एनसीसी के लिए प्रमाण स्वरूप सभी मूल प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत करने होंगे । दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने पर उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा ।

13. **चिकित्सा जांच :-** नामिका में शामिल उम्मीदवारों को नामित रेलवे अस्पताल में बी-1 चिकित्सा कोटि की चिकित्सा जांच करानी होगी ।

14. उम्मीदवारों को अपनी लागत तथा जोखिम पर भर्ती में उपस्थित रहना होगा । तथापि, वर्तमान रेलवे नियमों के अनुसार एससी/एसटी श्रेणियों के उम्मीदवारों को आने जाने की यात्रा के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन से भर्ती के स्थान तक का नि:शुल्क यात्रा प्राधिकार जारी किया जाएगा ।

15. योग्यता, स्थान, दिनांक, चयन विधि, स्वीकृति या अस्वीकरण से संबंधित सभी मामलों में चयन मंडल का निर्णय अंतिम तथा उम्मीदवारों पर बंधनकारी होगा ।

16. समिति पर किसी भी प्रकार का दबाव लाए जाने का सिफारिश किए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया जाएगा ।

(अनिल शर्मा)
महानिरीक्षक एवं मुसुआ /रेसुब

अधिसूचना संख्या 01/2013 दिनांक 27.05.2013

रेल सुरक्षा बल/रेल विशेष सुरक्षा बल में आरक्षक (बैंड) के पद हेतु आवेदन

1.

भारतीय पोस्टल ऑर्डर/बैंक डिमांड ड्राफ्ट का विवरण				अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ (3से.मी.X 4.5 से.मी.) यहां चिपकाया जाएं ।
संख्या	दिनांक	बैंक/डाकघर का नाम	राशि	

2. नाम (स्पष्ट अक्षरों में) मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार

----

3. पिता का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार

____

4. जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष) मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र के अनुसार

दिनांक	दिनांक	माह	माह	वर्ष	वर्ष	वर्ष	वर्ष

5. वर्ग : (समुचित बॉक्स में टिक करें)

सामान्य	ओबीसी	अनुसूचित जाति	अ.ज.जा.	भूतपूर्व सैनिक

6. स्थायी पता (पिनकोड जिला एवं राज्य सहित)
7. डाक का वर्तमान पता (पिनकोड, जिला, राज्य के साथ-साथ निकटतम रेलवे स्टेशन सहित)
8. अनुलग्नक :
   I. आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय) के रूप में रू. 50/- का रेखांकित भारतीय पोस्टल ऑर्डर
   II. केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए निर्धारित फार्मेट में एससी/एसटी/ओबीसी प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति
   III. शैक्षणिक योग्यता तथा आयु के प्रमाण के रूप में मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति ।
   IV. बैंड में कार्य करने तथा विज्ञापन में सूचीबद्ध किसी वाद्ययंत्र को बजाने के अनुभव प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति
   V. भूतपूर्व सैनिकों के लिए जारी किए गए प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति
   VI. कैप तथा सनग्लास के बिना चेहरा सामने से स्पष्ट दिखाई देने वाला एक अतिरिक्त रंगीन फोटोग्राफ (3.5 से.मी. X 4.5 से.मी.)
   VII. 27.5X 12.5 से.मी. आकार के दो स्व पता लिखे लिफाफे, प्रत्येक पर रु. 5/- का डाक टिकट चिपकाया गया हो ।

9. निम्नलिखित घोषणा को उम्मीदवार द्वारा अपने हस्तलेख में फिर से लिखा जाए :-
(मैं एतदद्वारा घोषित करता हूं कि उपर्युक्त सभी सूचनाएं मेरे द्वारा मेरी हस्तलिपि में भरी है और मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है ! यदि यह जानकारी गलत पायी

जाती है तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

____

हस्ताक्षर____________________

नाम ____________________

उम्मीदवार के बाएं हाथ के अंगूठे का निशान

परिशिष्ट क

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित आवेदकों द्वारा भारत सरकार के अधीन पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/कु.--- पुत्र/पुत्री श्री --- गांव/नगर---------------------------- जो जिला/खंड ----------------------------------- राज्य/संघ शासित क्षेत्र --------------------------------की -------------------------------- जाति से संबंधित है, जो निम्नलिखित के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

संवैधानिक (अनुसूचित जाति) आदेश 1950*

संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950*

संवैधानिक (अनुसूचित जाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश 1951*

संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति) (संघ शासित क्षेत्र) आदेश 1951* जैसा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश 1956,

बाम्बे पुर्नगठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल राज्य अधिनियम, 1970 तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम 1971 और अनुसूचित जाति, जनजाति आदेश (संशोधित) अधिनियम 1976

संवैधानिक (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956*

संवैधानिक (अंडमान एवं निकोबार द्विप) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959* जैसा कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आदेश (संशोधित अधिनियम 1976*) के द्वारा संशोधित

संवैधानिक (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962*

संवैधानिक (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964*

संवैधानिक (अनुसूचित जनजाति)(उत्तर प्रदेश) आदेश 1964*

संवैधानिक (गोवा, दमन एवं द्वीप) अनुसूचित जाति आदेश 1968*

संवैधानिक (गोवा, दमन एवं द्वीप) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968

संवैधानिक (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970*

संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978*

संवैधानिक (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978*

Ii श्री/श्रीमती/कुमारी*-- और/अथवा उनका* परिवार सामान्यत: गांव/नगर-- जिला/खंड--- राज्य/संघ शासित क्षेत्र ----------------------------- में रहते है ।

हस्ताक्षर ------------------------

पदनाम -----------------------

(कार्यालय मोहर सहित)

राज्य/संघ शासित

प्रदेश*

स्थान: -------------

दिनांक --------------

जो लागू न हो कृपया उसे काट दें ।

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त शब्द 'सामान्यत: रहते है ' का वहीं अर्थ होगा जो लोग प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है ।

** जाति एवं जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी

i. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/अपर डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टायपेंड्री मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तहसील/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट कमिश्नर जो प्रथम श्रेणी स्टायपेंड्री मजिस्ट्रेट से निचले रैंक के न हो ।

ii. मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट

iii. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम रैंक के न हो ।

iv. उम्मीदवार तथा/या उसके परिवार सामान्यत: जहां निवास करता है उस क्षेत्र के सब डिविजनल ऑफिसर

v. प्रशासक/सचिव-प्रशासक/विकास अधिकारी (लक्षद्वीप) 18

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित आवेदकों द्वारा भारत सरकार के अधीन पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री /श्रीमती/कु.--- पुत्र/पुत्री श्री --- गांव/नगर--------------------------- जो जिला/खंड ----------------------------------- राज्य/संघ शासित क्षेत्र ---------------------------------की --------------------------------- जाति से संबंधित है, जो निम्नलिखित के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

i. भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय के संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी (सी) दिनांक 10 सितंबर,1993 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 दिनांक 13 सितंबर, 1993 में प्रकाशित
ii. भारत सरकार, कल्याण मंत्रालय संकल्प संख्या 12011/09/94-बीसीसी दिनांक 19 अक्टूबर,1994 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 163 दिनांक 20 अक्टूबर, 1994 में प्रकाशित
iii. संकल्प संख्या 12011/07/95-बीसीसी दिनांक 24 मई,1995 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 88 दिनांक 25 मई, 1995 में प्रकाशित
iv. संकल्प संख्या 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 06 दिसंबर, 1996 भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खंड 1 संख्या 210 दिनांक 11 दिसंबर, 1996 में प्रकाशित
v. संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 129 दिनांक 08 जुलाई, 1997 में प्रकाशित
vi. संकल्प संख्या 12011/12/96-बीसीसी भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 164 दिनांक 01 सितंबर, 1997 में प्रकाशित
vii. संकल्प संख्या 12011/99/94-बीसीसी भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 236 दिनांक 11 दिसंबर,1997 में प्रकाशित
viii. संकल्प संख्या 12011/13/97-बीसीसी भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 239 दिनांक 03 दिसंबर, 1997 में प्रकाशित
ix. संकल्प संख्या 12011/12/96-बीसीसी भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 166 दिनांक 03 अगस्त, 1998 में प्रकाशित
x. संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 171 दिनांक 06 अगस्त, 1998 में प्रकाशित
xi. संकल्प संख्या 12011/68/98-बीसीसी भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 241 दिनांक 27 अक्टूबर 1999 में प्रकाशित
xii. संकल्प संख्या 12011/88/98-बीसीसी भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 270 दिनांक 06 दिसंबर,1999 में प्रकाशित
xiii. संकल्प संख्या 12011/36/99-बीसीसी भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 71 दिनांक 04 अप्रैल, 2000 में प्रकाशित

श्री/श्रीमती/कुमारी*--
और/अथवा उनका* परिवार सामान्यत: गांव/नगर---
जिला/खंड--- राज्य/संघ शासित क्षेत्र ----------------------------- में रहते है । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93 -स्थापना (एससीटी)

दिनांक 08.09.1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्ति/समुदाय (क्रीमीलेयर) से संबद्ध नहीं है ।

जिला मजिस्ट्रेट
उपायुक्त आदि

दिनांक --------------

कार्यालय मोहर

टिप्पणी :

(क) यहां प्रयुक्त शब्द ‘सामान्यत: रहते है ‘ का वहीं अर्थ होगा जो लोग प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 20 में निहित है ।

(ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी

i. जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/डिप्टी कमिश्नर/अपर डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी स्टायपेंड्री मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/तहसील/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट कमिश्नर जो प्रथम श्रेणी स्टायपेंड्री मजिस्ट्रेट से निचले रैंक के न हो ।
ii. मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट
iii. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से कम रैंक के न हो ।
iv. उम्मीदवार तथा/या उसके परिवार सामान्यत: जहां निवास करता है उस क्षेत्र के सब डिविजनल ऑफिसर

जो लागू न हो कृपया उसे काट दें ।

परिशिष्ट ग

अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों द्वारा घोषणा

मैं .--- पुत्र/पुत्री श्री --- गांव/नगर--------------------------- जो जिला/खंड ------------------------------------ राज्य/संघ शासित क्षेत्र --------------------------------- एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं की मै --------------------------------- समुदाय से संबंधित हूं, जो भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के कार्यलय आदेश संख्या 36012/22/93 एससीटी दिनांक 08.09.1993 के अनुसार जिसकी पहचान एक पिछड़े वर्ग के रूप में सरकारी सेवा में आरक्षण देने के उद्देश्य से की गई है । मैं यह भी घोषणा करता हूं कि दिनांक 08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसूची के कॉलम 3 में वर्णित (क्रीमीलेयर) व्यक्ति/समुदाय से संबंधित नहीं हूं ।

हस्ताक्षर ---------------------------

उम्मीदवार का नाम --------------------------------

तारीख --- पिता का नाम ---

स्थान --- पता ---